संख्या-5257-1/62-2-2001-2/2(27)/99

प्रेषक,

डा० ओम प्रकाश,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा
में,

1. **मुख्य अभियन्ता,**
   लघु सिंचाई विभाग,
   उत्तर प्रदेश लखनऊ।

2. **समस्त मण्डलायुक्त,**
   उत्तर प्रदेश।

3. **समस्त जिलाधिकारी,**
   उत्तर प्रदेश।

लघु सिंचाई एवं ग्रा०अभि०सेवा अनुभाग-2 **लखनऊ दिनाँक : 16, दिसम्बर,2001**

विषय- निशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत बोरिंग की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासनादेश संख्या 3485/62-2-2001-2/2(42)/98, दिनांक 15-9-2001 एवं संख्या 3485(1)/62-2-2001-2/2(42)/98, दिनांक 15-9-2001 द्वारा नि:शुल्क बोरिंग योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा -निर्देश जारी किये गये है। शासन द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त शासनादेश में दिये गये

दिशा-निर्देश के अतिरिक्त निम्न निर्देश का भी कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

1. नि:शुल्क बोरिंग योजना से सम्बन्धित मुख्य नियम, प्राविधान/नियमावली को लघु सिंचाई विभाग द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत की भवन की दीवार पर प्रदर्शित किया जाये।
2. विभाग के बोरिंग टेक्नीशियन द्वारा ग्रामवार एक रजिस्टर बनाया जाए जिसमें यह उल्लेख किया जाए कि सिचाई के सम्बन्ध में वर्षवार किस-किस कृषक की किस-किस योजना में क्या-क्या सुविधायें प्राप्त हुई है। रजिस्टर का प्रारूप मुख्य अभियन्ता (ल०सि०) द्वारा अलग से सूचित किया जायेगा। इस रजिस्टर को ग्राम सभा की जल संसाधन समिति को उपलब्ध कराया जाय। जल संसाधन समिति लाभार्थी का चयन करने से पहले यह देख ले कि लाभार्थी को किसी योजना में पूर्व में लाभान्वित किया गया है अथवा नहीं। ग्रामसभा की जल संसाधन समितियों की बैठक में बोरिंग टेक्नीशियन अनिवार्य रूप से भाग लेगें।
3. बोरिंग प्रारम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित कृषक, ग्राम प्रधान/जल संसाधन समिति के अध्यक्ष को यह अवगत कराने की व्यवस्था की जाये कि किस दिन बोरिंग प्रारम्भ की जायेगी। यह व्यवस्था भी की जाये कि जिस दिन बोरिंग प्रारम्भ हो उस दिन ग्राम में एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित हो, जिसमें लाभार्थी, ग्राम प्रधान, जल प्रबन्धन समिति के सदस्य तथा अन्य ग्रामवासी उपस्थित रहें। साथ ही बोरिंग पूर्ण होने पर बोरिंग स्थल पर एक पट्टी लगाने की भी व्यवस्था की जाये जिसमें यह उल्लेख हो कि किस लाभार्थी की बोरिंग हुई और कितना व्यय हुआ तथा किस बोरिंग टेक्नीशियन/ अवर अभियन्ता ने बोरिंग कराई है। उपरोक्त विवरण से सम्बन्धित पट्टी पम्प हाउस/सम्प हाउस की दीवार पर लगाई जाए। इस मद में व्यय नि :शुल्क बोरिंग कन्टीजेन्सी से किया जायेगा। पट्टी की साइज़ व व्यय की सीमा का निर्धारण मुख्य अभियन्ता (ल०सिं०) द्वारा अलग से किया जाएगा।
4. ग्राम स्तर पर कुल निर्मित बोरिंग की गणना कराकर प्रत्येक कृषक की बोरिंग की नम्बरिंग करते हुए प्रस्तर-1--(2) के रजिस्टर में उसका विवरण रखा जाय और इसकी सूचना कृषक, ग्राम पंचायत एवं जल संसाधन समिति को उपलब्ध कराया जाये।
5. योजना के अन्तर्गत निर्मित कार्यो का सत्यापन ग्राम पंचायत की जल संसाधन समिति द्वारा समय-समय पर किया जाएगा। अवर अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा बोरिंग पूर्ण होने पर इसकी सूचना ग्राम प्रधान एवं जल संसाधन समिति को देंगे तथा जल संसाधन समिति के अध्यक्ष के समक्ष बोरिंग चला कर रूप मात्र-4 पर उनसे यह प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए कि बोरिंग सफलतापूर्वक कार्य कर रही है।
6. नि:शुल्क बोरिंग योजना में पी०वी०सी० पाइप व अन्य सामग्री के क्रय की संशोधित व्यवस्था के सम्बन्ध में अलग से प्रस्ताव विचाराधीन है, तब तक वर्तमान व्यवस्था लागू रखी जायें।
7. नि:शुल्क बोरिंग योजना में डुप्लीकेसी की सम्भावना को रोकने हेतु, खण्ड विकास अधिकारी द्वारा

अन्य योजनाओं में बोरिंग हेतु चयनित लाभार्थी की सूची प्रत्येक माह में सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई को उपलब्ध कराई जाएगी। लघु सिंचाई विभाग की नि:शुल्क बोरिंग योजना में बोरिंग की स्वीकृति के उपरान्त अवर अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा सम्बन्धित बोरिंग टेक्नीशियन को कृषकों की सूची उपलब्धर कराई जाएगी जिसके अनुसार बोरिंग टेक्नीशियन समयबद्धकार्यक्रम बनाकर बोरिंग कार्य पूर्ण करायेगें। जिन मामलों में मजदूरी का भुगतान अनुमन्य अनुदान से किया जाना हो, उसके सम्बन्ध में बोरिंग प्रारम्भ करने से पूर्व लघु सिंचाई विभाग द्वारा बोरिंग टैक्नीशियन को मस्टर रोल उपलब्ध कराया जाएगा।

8. योजना में भविष्य में 0.5 हे० से कम जोत वाले कृषकों की व्यक्तिगत बोरिंग न की जाये। 0.5 हे० से कम जोत वाले कृषकों को प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में चिन्हित कर न्यूनतम चार या पाँच कृषकों का समूह बनाया जाये और समूह बनने तथा उसके प्रभावी रूप से सक्रि य होने के उपरान्त समूह के लिये एक बोरिंग निर्मित की जाये। उक्त हेतु स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना अथवा अन्य योजनाओं में पूर्व से गठित स्वयं सहायता समूहों का उपयोग भी किया जा सकता है। समूह बनाने की विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण मुख्य अभियन्ता (ल०सि०) द्वारा अलग से किया जायेगा।
9. योजना के अन्तर्गत कृषक द्वारा स्थापित किये गये पम्पसेट के सत्यापन की सूचना ऋण हेतु पत्रावली बनाने वाले बहुउद्देशीय कर्मी/ग्राम विकास अधिकारी अथवा अन्य अधिकारी द्वारा ऋण वितरण होने के एक माह के अन्दर खण्ड विकास अधिकारी को प्रेषित करेगें। इस सूचना में जल प्रबन्धन समिति के अध्यक्ष एवं ग्राम प्रधान का प्रमाण पत्र भी अंकित होगा जिसके लिए रूप पत्र का निर्धारण मुख्य अभियन्ता (ल०सिं०) द्वारा अलग से किया जाएगा। खण्ड विकास अधिकारी इस सूचना को सम्बन्धित बैंक एवं सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई को प्रत्येक माह में प्रेषित करेगे और यदि ऋण स्वीकृत होने के तीन माह के अन्दर कृषक द्वारा पम्पसेट स्थापित नहीं किया जाता है तो सम्बिन्धत बैंक द्वारा कृषक से रिकवरी करने की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त यह व्यवस्था भी की जाये कि कृषक का पम्पसेट, ऋण की सम्पूर्ण रिकवरी होने तक बन्धक रखेगा और इस अवधि में पम्पसेट बेचा जाना पूर्णत : प्रतिबन्धित रहेगा। पम्पसेट की स्थापना प्रमाण पत्र देने की जिम्मेदारी पत्रावली बनाने वाले कर्मचारी की होगी जिसका प्रमाण पत्र अवर अभियन्ता लघु सिंचाई व खण्ड विकास अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर से बैंक व सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई को भेजा जायेगा।
10. योजना के अन्तर्गत पूर्व के समस्त रूप-पत्रों को निरस्त करते हुए संलग्न रूप-पत्र-1,2,3(अ), 3 (ब), 3(स) तथा रूप-पत्र-4 के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पन्न की जाएगी।
11. नि:शुल्क बोरिंग योजना में कृषक को अनुमन्य अनुदान में से बोरिंग टेक्नीशियन /सहायक बोरिंग टेक्नीशियन का वेतन भत्ता आदि काटने की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है।

भविष्य में कृषक की अनुमन्य धनराशि से बोरिंग सेट का किराया ही काटकर राजस्व में जमा किया जायेगा। बोरिंग सेट के किराये (डिप्रीसियेशन) की दरें समय-समय पर मुख्य अभियन्ता लघु सिंचाई द्वारा निर्धारित की जायेगीं।

उपरोक्त आदेशों के प्रतिकूल यदि कोई तथ्य/निर्देश पूर्व में जारी स्ट्रेटजी में है तो उसे निरस्त समझा जाये।

संलग्नक:- यथोक्त ।

भवदीय,

(डा० ओम प्रकाश)
सचिव।

संख्या- (1)/62-2-2001-2/12(40)/98, तद्-दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. कृषि उत्पादन, शाखा के समस्त सचिव।
2. प्रमुख सचिव/सचिव वित्त/नियोजन/राजस्व/संस्थागत वित्त उत्तर प्रदेश शासन।
3. कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के समस्त विभागाध्यक्ष।
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन।
5. स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से

(जितेन्द्र विष्णु)
विशेष सचिव

संख्या: (1)/62-2-2001-2/12(40)/98, तद्-दिनांक।

प्रतिलि पि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष उ० प्र० पावर कारपोरेशन लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी ग्राम्य विकास बैंक, लखनऊ।
4. निदेशक, भूगर्भ जल विभाग/राज्य ग्राम विकास संस्थान, उ० प्र०।

5. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ० प्र०।
6. निदेशक, लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग, बी०के०टी०, लखनऊ।
7. समस्त संयुक्त/ उपविकास आयुक्त, उ० प्र०।
8. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/ अधिशासी अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता (ल०सिं०), उ० प्र०।
9. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ० प्र०।
10. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उ० प्र०।
11. अधीक्षण अभियन्ता/ विषय विशेषज्ञ, लघु सिचांई विभाग, लखनऊ।
12. अधिशासी अभियन्ता (ल०सि०) आपूर्ति खण्ड, लखनऊ।
13. निदेशक, संस्थागत वित्त निदेशालय, उ०प्र०, स्टेशन रोड, लखनऊ।
14. गार्ड फाइल अनुभाग-2

आज्ञा से

(जितेन्द्र विष्णु)
विशेष सचिव